



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129240

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 16524 वर्ष 2026

राजकुमार उर्फ राजूआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : फिरोज अहमद खान

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री फिरोज अहमद खान का कार्यभार देख रहे अधिवक्ता श्री जावेद आलम तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक द्वारा मुकद्दमा अपराध संख्या 21 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108, थाना- जगनेर, जिला- आगरा में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित घटना 09.03.2026 को हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन बाद, 12.03.2026 को दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक सहित तीन व्यक्तियों

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को नामजद किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मृतक को आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि आवेदक द्वारा मृतक को कई दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था। यह आगे तर्क दिया गया है कि, शव-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर गले पर फंदे के निशान के अतिरिक्त कोई अन्य चोट नहीं पाई गई, जो अभियोजन पक्ष के इस मामले को झुठलाता है कि उसे आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक के विरुद्ध दुष्प्रेरण या उकसावे का कोई आरोप नहीं है। मृतक ने वैवाहिक विवाद के कारण आत्महत्या की थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 15.03.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, पत्रावली पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा काटी गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करने के उपरान्त तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत प्रदान करने का मामला बनाया है।
6. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. उपर्युक्त मुकद्दमा अपराध में संलिप्त आवेदक- राजकुमार उर्फ राजू को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार, उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले के आरंभ होने, (2) आरोप तय होने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026

राधिका

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"